

Central Goods & Services Tax Rules, 2017

Central Goods and Services Tax Rules, 2017

¹Notification No. 3/2017 – Central Tax, G.S.R. 610(E), Dated 19/06/2017- In exercise of the powers conferred by section 164 of the Central Goods and Services tax Act, 2017 (12 of 2017), the Central Government hereby makes the following rules, namely:-

**CHAPTER – I
PRELIMINARY**

Rule 1: Short title, ²[**] and Commencement**

- (1) These rules may be called the Central Goods and Services Tax Rules, 2017.
 - (2) They shall come into force with effect from 22nd June, 2017.
-

1 This notification has been published in The Gazette of India (Extraordinary) dt. 19-06-2017.

2 The word "Extent" omitted by Noti. No. 07/2017–Central Tax, dt. 27-06-2017 w.e.f. 22-06-2017.

केन्द्रीय माल एवं सेवा कर नियम, 2017

केन्द्रीय माल और सेवा कर नियम, 2017

¹अधिसूचना सं. 3/2017—केन्द्रीय कर, नई दिल्ली, दिनांक 19 जून, 2017—केन्द्रीय सरकार, माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 12) की धारा 164 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, निम्नलिखित नियम बनाती हैं, अर्थात् :

अध्याय 1 प्रारंभिक

नियम 1 : संक्षिप्त नाम, ²[.....] और प्रारंभ

- (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम केन्द्रीय माल और सेवा कर नियम, 2017 है।
 - (2) ये 22 जून, 2017 से प्रवृत्त होंगे।
-

1 यह अधिसूचना भारत के राजपत्र (असाधारण) में दिनांक 19.06.2017 को प्रकाशित हुई।

2 शब्द "विस्तार" अधिसूचना क्रमांक 7/2017—केन्द्रीय कर, दिनांक 27.06.2017 द्वारा विलोपित (प्रभावशील दिनांक 22.06.2017)।